बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक

संख्या–2/आ0–70–05/2015 गृ0आ0 /श्री अलख निरंजन चौधरी, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय) पुलिस उप–महानिरीक्षक पूर्णियाँ के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 24.01.2015 को सासाराम नगर थानान्तर्गत दो समुदायों के बीच भीषण घटना घटी थी जिसमें एक पक्ष के 18 लोग आग्नेयास्त्रों से जख्मी हुए और इलाज के क्रम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। संबंधित घटना के संदर्भ में प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना रात्रि करीब 10:30 बजे सासाराम पहुँचे एवं शांति व्यवस्था बहाल करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की। रातों–रात गश्ती दल का गठन कर शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस क्रम में श्री अलख निरंजन चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम पूर्णतः उपस्थित रहे। जब उनसे इस संदर्भ में पृच्छा की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि वे अपने आवास पर सो रहे हैं। उन्हें यह संदेश भेजा गया कि तत्क्षण अपने कर्त्तव्य पर लौटे एवं वरीय पदाधिकारियों से दिशा–निर्देश प्राप्त करें। बहुत प्रयास के पश्चात रात्रि करीब 1:00 बजे श्री चौधरी सादे लिवास में लड़खड़ाते हुए पहुँचे। उस वक्त जिला पदाधिकारी, पुलिस उप–महानिरीक्षक डिहरी ऑन–सोन एवं पुलिस अधीक्षक, सासाराम भी उपस्थित थे। इतने संवेदनशील एवं गंभीर क्षण में एक पुलिस उपाधीक्षक कोटि के वरीय पदाधिकारी को पूर्णतः नशे में संलिप्त रहना उनकी घोर कर्त्तव्यहीनता लापरवाही एवं आयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने को इंगित करता है।

II. श्री चौधरी को विभागीय अधि0 सं0–2242 दिनांक 30.03.2015 द्वारा कर्त्तव्यपालन के दौरान बरती गयी घोर लापरवाही कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता का कार्यावधि में नशे में लिप्त रहने एवं एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था।

III. निलंबन के पश्चात् श्री चौधरी के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक के पत्र सं0–3245 दिनांक 22.05.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र–क प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में विभागीय ज्ञापन सं0–4261 दिनांक 22.06.2015 द्वारा श्री चौधरी से बचाव की लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

IV. श्री चौधरी द्वारा दिनांक 08.07.2015 को बचाव अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बचाव अभिकथन से असहमत होते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–326 दिनांक 14.01.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

V. श्री अलख निरंजन चौधरी दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं फलस्वरूप दिनांक 31.12.2016 के प्रभाव से इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है।

VI. श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–326 दिनांक 14.01.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति विभागीय जांच आयुक्त पटना–सह–संचालन पदाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक, सासाराम –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आ–70–05/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक, 2016

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आ–70–05/2015 गृ0आ0 10194 /पटना, दिनांक 28/12 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (मु0), बिहार, पटना/विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, सासाराम –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अलख निरंजन चौधरी, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय) पुलिस उप–महानिरीक्षक पूर्णियाँ/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस संकल्प की एक प्रति अपने स्तर से आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

28/12/16

सरकार के उप सचिव।